प्रेषक,

निदेशक,
उच्च शिक्षा एवं संयोजक शोध एवं विकास प्रकोष्ठ समिति
उच्च शिक्षा निदेशालय (हल्द्वानी) उत्तराखंड।

सेवा में,

डॉ0 अराधना सिंह
राजकीय महाविद्यालय
चिन्यालीसौड़।

पत्रांकः 353 /41(मु0उ0शि0शो0प्रो0यो0)/2023–24 दिनांकः 19 फरवरी, 2024

विषयः मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना में शोध परियोजना स्वीकृत किये जाने विषयक।

महोदया,

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना में आपके द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव के मूल्यांकन (प्रथम चरण की स्क्रीनिंग), प्रस्तुतीकरण (द्वितीय चरण की स्क्रीनिंग) तथा राज्य शोध एवं विकास प्रकोष्ठ, चयन एवं मूल्यांकन समिति की अनुशंसा (तृतीय चरण की स्क्रीनिंग) के आधार पर आपके शोध परियोजना प्रस्ताव को निम्नांकित शर्तों पर एतद्द्वारा स्वीकृत किया जाता हैः–

विषय		समाजशास्त्र	
परियोजना शीर्षक		Exploring A Socio-technical Transition: The case of Solar energy in Uttarakhand.	
S.N.	Head	Subheads:	Sanctioned Amount (₹)
1.	Recurring	Man Power (Research Assistant)	1,20,000.00
		Field work and travel (with in India)	50,000.00
		Contingency	40,000.00
		Special Need (if Any)	35,000.00
2.	Non Recurring	Equipments	1,50,000.00
		Books and Journals	50,000.00
		Overhead (@ 2.5% of project cost)	8,250.00
		Special Need (if any)	35,000.00
		Total	**4,88,250.00**

1. शासनादेश संख्या 170321(1)/XXIV-C-2/2023–25(04)2022, दिनांक 21 नवंबर 2023 के अनुपालन में बैंक खाता खोलकर दिनांक 20 फरवरी, 2024 तक निम्न प्रारूप में सूचना उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, ताकि शोध अनुदान राशि की प्रथम किस्त डी0बी0टी0 के द्वारा खाते में हस्तांतरित की जा सके।

शोधार्थी का नाम (हिन्दी तथा अंग्रेजी में) पदनाम	महाविद्यालय का नाम	पिता का नाम	आधार संख्या	मोबाईल नम्बर	जन्म तिथि	बैंक का नाम	आई0 एफ0 एस0 सी0 कोड	बैंक खाता संख्या	शोध हेतु स्वीकृत धनराशि

2. शोध परियोजना में होने वाला शोध मौलिक होना चाहिए तथा यूजीसी द्वारा शोध की गुणवत्ता एवं मानकों की दिशानिर्देश के अनुरूप होना चाहिए। शोध गतिविधियों में साहित्यिक चोरी नहीं की जाएगी और शोध प्रक्रियाओं में सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।
3. स्वीकृत अनुदान से किसी प्रकार का निर्माण कार्य अनुमन्य नहीं होगा तथा फर्नीचर, आलमारी आदि की खरीद नहीं की जाएगी।
4. शोध अनुदान राशि में स्वीकृत मदो के अनुसार ही व्यय अनुमन्य है। फील्ड वर्क एंड ट्रेवल व्यय अध्ययन क्षेत्र/उत्तराखंड राज्य की सीमा के अंदर ही व्यय किया जा सकेगा। विशेष परिस्थिति में संयोजक शोध एवं विकास समिति की पूर्वानुमति से ही प्रदेश की सीमा के बाहर व्यय अनुमन्य होगा।
5. एक शोध परियोजना में एक ही सह शोध अन्वेषक अनुमन्य है। उत्तराखंड के राजकीय महाविद्यालयों अथवा राज्य विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक को ही सह शोध अन्वेषक नियुक्त किया जा सकेगा। संविदा प्राध्यापक या शोध अध्येता को सह–शोध अन्वेषक बनाया जाना अनुमन्य नहीं है तथा अन्य संस्थानों से भी सह शोध अन्वेषक अनुमन्य नहीं होगा। शोध परियोजना में शोध सहायक की नियुक्ति मुख्य अन्वेषक के द्वारा महाविद्यालय की शोध विकास समिति के माध्यम से की जाएगी। शोध सहायक महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर का संस्थागत छात्र/शोध अध्येता होगा, जिसे प्रतिमाह ₹5000 की दर से मानदेय देय होगा। शोध सहायक द्वारा शोध कार्य के प्रति अरुचि दिखाने, अनुशासनहीनता करने तथा त्यागपत्र देने की अवस्था में महाविद्यालय की शोध एवं विकास समिति द्वारा लिखित रूप से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए शोध सहयोगी को हटाया जा सकता है। किसी भी संस्था से अध्येतावृत्ति (Fellowship) प्राप्त कर रहे छात्र/शोध अध्येता शोध सहायक हेतु पात्र नहीं होंगे। शोध सहायक के अतिरिक्त किसी अन्य मानव संसाधन को मानदेय पर शोध परियोजना में नियुक्त नहीं किया जायेगा।
6. शोध परियोजना को समयबद्धता के साथ संचालित कर प्रत्येक 06 माह में शोध प्रगति रिपोर्ट रिसर्च मॉनिटरिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। असंतोषजनक शोध प्रगति की दशा में राज्य शोध एवं विकास समिति को परियोजना बंद करने का अधिकार होगा।
7. शोध की अनुदान राशि तीन किस्तों में प्रदान की जाएगी प्रथम किस्त में 50% राशि शोध प्रस्ताव की स्वीकृति के साथ ही जारी की जाएगी। दूसरी किस्त के रूप में 30% की अनुदान राशि संतोषजनक कार्य करते हुए पूर्व स्वीकृत राशि का उपभोग प्रमाण पत्र, जो कि संबंधित संस्था के प्राचार्य/कुल सचिव द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगी, के प्रस्तुत करने तथा राज्य शोध एवं विकास प्रकोष्ठ के समक्ष स्वीकृत शोध की शोध प्रगति आख्या प्रस्तुति के उपरांत ही देय होगी। तीसरी एवं अंतिम किस्त के रूप में 20% की अनुदान राशि शोध कार्य पूर्ण करने के उपरांत हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में शोध ग्रंथ एवं पॉलिसी डॉक्युमेंट वर्किंग पेपर के रूप में राज्य शोध विकास समिति को उपलब्ध कराने तथा स्वीकृत स्रोत से संबंधित न्यूनतम दो शोध पत्र, कला वर्ग हेतु यूजीसी केयर लिस्ट/स्कॉपस इंडेक्सड तथा विज्ञान वर्ग हेतु हेतु स्कॉपस इंडेक्सड/एस0सी0आई0 इंडेक्सड शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित कर शोध पत्र उपलब्ध कराने पर ही जारी किया जायेगा।
8. शोध कार्य पूर्ण होने पर शोध कार्य का समस्त कॉपीराइट, आई0पी0आर0 राज्य शोध एवं विकास प्रकोष्ठ समिति के पास संरक्षित होगा। शोध प्रकाशन हेतु पूर्वानुमति आवश्यक होगी। शोध पत्र में यह भी उल्लेख करना आवश्यक होगा कि यह शोध मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत संपादित किया गया है। शोध पत्र की एक प्रति शोध प्रकोष्ठ में जमा करनी आवश्यक होगी। संगोष्ठी या सेमिनार प्रोसीडिंग्स में प्रकाशित शोध पत्र मान्य नहीं होंगे। कला वर्ग हेतु स्कॉपस इंडेक्सड/यू0जी0सी0 केयर लिस्टेड जनरल्स तथा विज्ञान वर्ग हेतु स्कॉपस इंडेक्सड/एस0सी0आई0 इंडेक्सड जर्नल द्वारा प्रकाशित प्रोसीडिंग्स या शोधपत्र मान्य होंगे।

9. स्वीकृत अनुदान राशि का संपूर्ण रिकॉर्ड संस्थान स्तर पर धारित किया जाएगा जिसे मुख्य शोध अन्वेषक तथा प्राचार्य/कुलसचिव द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा। शोध समिति द्वारा किसी भी समय परियोजना से संबंधित लेखा और अन्य रिकॉर्ड्स का निरीक्षण किया जा सकेगा।
10. शोध अनुदान व्यय में राज्य सरकार की व्यय एवं वित्त संबंधी लागू सुसंगत नियमों का पालन किया जाएगा तथा व्यय के समस्त रिकॉर्ड अभिलेखों को अद्यतन रखा जाएगा।
11. शोध अनुदान राशि से क्रय की गई समस्त पूंजीगत वस्तुएं जैसे कंप्यूटर, पुस्तकें, लैब सामग्री, सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर आदि सम्बंधित संस्था की संपत्ति होगी।
12. शोध को समय से पूर्ण करना मुख्य शोध अन्वेषक की जिम्मेदारी होगी तथा शोध परियोजना की अंतिम रिपोर्ट को समिति की पूर्वानुमति के बिना किसी विश्वविद्यालय या फंडिंग एजेंसी के द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकेगा। शोध हेतु 02 वर्ष का समय प्रदान किया जाएगा, जिसे विशेष परिस्थितियों में राज्य शोध एवं विकास प्रकोष्ठ समिति द्वारा आगामी 01 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है। शोध अन्वेषक को उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में निर्गत शासनादेश संख्या 154824 दिनांक 18 सितंबर, 2023 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

भवदीय

निदेशक उच्च शिक्षा
संयोजक शोध एवं विकास प्रकोष्ठ समिति
(मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शाोध प्रोत्साहन योजना 2023–24)

पृष्ठांकन संख्या 353 (1) /41(मु0उ0शि0शो0प्रो0यो0)/2023–24 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं संज्ञानार्थ प्रेषित।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री उच्च शिक्षा, के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, सचिव उच्च शिक्षा, के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, अपर सचिव उच्च शिक्षा, के संज्ञानार्थ।
4. कुलपति/प्राचार्य संबंधित राजकीय विश्वविद्यालय/महाविद्यालय उत्तराखण्ड।
5. नोडल अधिकारी, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना, उत्तराखण्ड।
6. संबंधित पत्रावली।

निदेशक उच्च शिक्षा
संयोजक शोध एवं विकास प्रकोष्ठ समिति
(मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शाोध प्रोत्साहन योजना 2023–24)